ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।

पत्रांकः सीएफओ/एन/बीजीआर/2026(A-14) दिनांकः जून 12 ,2026।

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
राजकीय इण्टर कालेज सूपी कपकोट
ग्राम सूपी, पोस्ट–सूपी, तहसील–कपकोट, जिला–बागेश्वर

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके यूनिक नम्बर–51997543, दिनांकः 28.05.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर द्वारा किया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.06.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी 04 किग्रा के 07 अदद, सीओटू 4.5 किग्रा0 के 02 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर, तीन हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक व दो हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र विभागीय मेल में प्रस्तुत/अपलोड करना आवश्यक होगा, स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड़ ना किये जाने की दशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर की संस्तुति के आधार पर (ब्लॉक 1 के भूतल में 04 क्लास रूम, ब्लॉक 2 के भूतल में 04 क्लास रूम, प्रथम तल में 01 लैब व 01 क्लास रूम, ब्लॉक 3 के भूतल में 01 मैस, ब्लॉक 4 के भूतल में 02 क्लास रूम, ब्लॉक 5 के भूतल में 02 क्लास रूम हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 12 जून 2026 से 11 जून 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
05 संस्थान के अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
07 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
08 संस्थान की समस्त विद्युत वायरिंग व विद्युत उपकरणो को समय–समय पर चैक कराया जाना नितांत आवश्यक है।
09 वनाग्नि के दृष्टिगत समुचित सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा/बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner